भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5620
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं की स्थिति

5620. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) उक्त राज्य में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और कौशल विकास कार्यक्रमों सहित महिला सशक्तिकरण पहलों से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है;
(ग) क्या पंजाब में कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पोषण स्तरों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार महिला सुरक्षा, हेल्पलाइन सेवाओं और सहायता के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के लिए नई पहल शुरू करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) पंजाब राज्य में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख) पंजाब राज्य में मंत्रालय की महिला सशक्तीकरण योजनाओं से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ग) जैसा कि नीचे दिए गए पोषण ट्रैकर से पंजाब राज्य में बच्चों (0-5 वर्ष) के लिए कुपोषण संकेतकों की स्थिति से देखा जा सकता है, कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई है:

फरवरी-23			फरवरी-25		
ठिगनापन %	**दुबलापन %**	**अल्प वजन %**	**ठिगनापन %**	**दुबलापन %**	**अल्प वजन %**
26.05	7.39	12.35	20.67	3.50	6.49

पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- 15वें वित्त आयोग की अवधि के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसकी विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्वयं-चयन की सुविधा वाली व्यापक योजना है जिसमें किसी लाभार्थी के लिए पंजीकरण कराने और सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रवेश संबंधी कोई बाधा नहीं है। यह मिशन पंजाब राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
    - देश में मानव पूंजी के विकास में योगदान देना;
    - कुपोषण की चुनौती का समाधान करना;
    - स्थायी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पोषण जागरूकता तथा भोजन की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना

    पोषण केवल खाना खाने तक ही सीमित नहीं है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक होते हैं जो स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच परस्पर (क्रॉस कटिंग) तालमेल की मदद से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।
- मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा बेहतर स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु

और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, आयुष पद्धतियों के माध्यम से गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) को दूर करने और तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, एनीमिया और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

- इस मिशन के तहत, बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी, 2023 में संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों मामलों में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वास्थ्यकर वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।
- महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तैयार करने और घर ले जाए जाने वाले राशन (टीएचआर) के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसे दूर करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।
- इस मिशन के तहत लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए सामुदायिक जुटाव और जागरूकता का प्रचार-प्रसार एक प्रमुख कार्यकलाप है क्योंकि पोषण संबंधी अच्छी आदतें अपनाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु सतत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति का काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब राज्य में मंत्रालय की महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं के तहत जारी/उपयोग की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक-III** में संलग्न है।

(ङ) बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं को मिशन शक्ति में शामिल कर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति में क्रमशः दो वर्टिकल '**संबल**' और **'सामर्थ्य'** शामिल हैं।

I. संबल - संबल के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई हैं: **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** - निजी और सार्वजनिक दोनों जगह हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए,; **महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल)** एक 24 x 7 x 365 टोल-फ्री आपातकालीन/गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइनों/संस्थानों के साथ एकीकृत है; **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** - जन्म के समय घटते लिंग अनुपात (एसआरबी) और जीवन चक्र निरंतरता पर बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया; **नारी अदालत** - न्याय सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त बनाने और वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, दबाव समूह कार्यनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसी सेवाएं प्रदान करने के लक्ष्य वाली पहल है।

II. सामर्थ्य - 'सामर्थ्य' घटक के तहत निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई हैं: **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** - केंद्र प्रायोजित एक मातृत्व लाभ योजना, जिसके अंतर्गत पहले बच्चे और दूसरा बच्चा बालिका होने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थियों को नकद प्रोत्साहन दिया जाता है; **उज्ज्वला और स्वाधार गृह (नया नाम शक्ति सदन)** – दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह; **कामकाजी महिला छात्रावास (नया नाम सखी निवास)** - शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना; **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (एनएचईडब्लू)** - राष्ट्रीय स्तर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतरक्षेत्रीय तालमेल को सुगम बनाना और **राष्ट्रीय क्रेच योजना (नया नाम पालना)** का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में गुणवत्तायुक्त क्रेच सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

*****

अनुलग्नक-I

महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं की स्थिति के संबंध में श्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5620 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पंजाब में मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

(i) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2014-15 से 2023-2024 के दौरान पंजाब राज्य में जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 892 से बढ़कर 924 हो गया है।

इसके अलावा, पंजाब राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन वर्ष 2014-15 में 83.21 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 94.2 प्रतिशत हो गया है [यूडीआईएसई-डेटा, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार]।

(ii) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

श्रेणी	**पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या (28.02.2025 तक)**
गर्भवती महिलाएं	74,994
स्तनपान कराने वाली माताएं	95,235
बच्चे (0 से 6 वर्ष)	14,51,616
किशोरियां	34,055

*****

अनुलग्नक-II

महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं की स्थिति के संबंध में श्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5620 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पंजाब में मंत्रालय की महिला सशक्तीकरण योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं की संख्या

क्र. सं.	योजना	लाभार्थियों की संख्या	
1.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के दौरान नामांकित लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की अवधि के दौरान भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या*
		403845	475527

* भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकित लाभार्थियों की संख्या से अधिक हो सकती है, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्षों में पंजीकृत कुछ लाभार्थियों को अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान प्राप्त हुआ है।

अनुलग्नक-III

महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं की स्थिति के संबंध में श्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5620 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में मंत्रालय की योजनाओं के तहत जारी/उपयोग की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	**मिशन**	**योजना**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**
1.	मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	383.52	75.31	307.87
2.	मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती एकीकृत बाल संरक्षण योजना)		1.72	10.69	15.43
3.	मिशन शक्ति – संबल	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	3.56	0.00	6.67
		वन स्टॉप सेंटर	3.85	0.00	3.89
		महिला हेल्प लाइन	0.00	0.00	0.27
4.	मिशन शक्ति – सामर्थ्य	शक्ति सदन (पूर्ववर्ती स्वाधार गृह तथा उज्ज्वला)	0.00	0.00	0.00
		सखी निवास (पूर्ववर्ती कामकाजी महिला छात्रावास)	0.00	0.00	0.00
		पालना	0.00	0.00	0.00
		प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	16.47	18.82	32.05
		राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केंद्र	0.00	1.89	0.00

*****